Corporation of India and the State procuring agencies had to procure paddy under price support scheme in a big way to avoid any distress sale of paddy by farmers beiow the support price due to non-cooperative attitude of millers. Even after giving some increase in the procurement price of levy-rice and the transportation and forwarding charges for levy-rice to be delivered by millers to Food Corporation of India, tne millers did not show much interest in the purchase of paddy arrived in Punjab mandis. As on 26th December, 1990, out of total arrivals of 78.32 lakh tonnes in Punjab mandis, the Food Corporation of India and the State procuring agencies have purchased 45.26 lakh tonnes of paddy under price support operations. The millers have purchased only 33.06 lakh tonnes of paddy till 26th December, 1990. In all, the States/Union Territories taken together till 26th December, 1990, a total quantity of 49.22 lakh tonnes of paddy has been procured by Food Corporation cf India and State -procuring agencies under price support. Food Corporation of India and State procuring agencies have made elaborate arrangements to extend price support to the paddy growers.

देश में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के कारण रेलवे को हुई क्षति

263. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन के पहले सात सप्ताहों के दौरान रेलों को रोकने और जलाने; रेलवे स्टेशनों को क्षति पहुच ने और तोड़-फोड़ की अन्य कार्यव हियों के कारण रेलवे को भारी नुकसान हुआ हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि रेल ग ड़ियों के रद्द किए ज ने के कारण एव हिंसा के डर से य त्रियों की संख्य और माल ढुलाई क्षमता में कमी आई है ;

यह कमी औसतन कितनी ह और इसके परिणामस्वरूप कुल कितन घाटा उठाना पड़ा हैं; और

(ग) सरकार इस घाटे की क्षति-पूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) जी हां, यद्यपि जो नुकसान हुआ है उसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, फिर भी यह लगभग 100 करोड़ के आसपास है।

(ग) विरोध स्वरूप हुए नुकसान को क्षतिपूर्ति करना कठिन है।

[The Vice-Chairman, Shrimati Jayanthi Natarajan (in the Chair]

STATEMENT BY MINISTER CORRECTING THE REPLY GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 10TH AUGUST, 1990 TO UNSTARRED QUESTION 565 REGARDING ALLOTMENT OF FIATS TO 1984 RIOT VICTIMS.

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 1984 दंगा पीड़ितों को फ्लैटों के आवंटन के संबंध में 10 अगस्त, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 565 के लिए गए उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभापटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया देखिए सं. एल टी 1618A/90

12 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT AND ACCOUNTS (1989-90 OF THE WATER POWER CONSULTANCY SERVICES (INDIA) LIMITED, NEW DELHI AND BE-LATED PAPERS

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : महोदया, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं :-

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ii) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये सरकार द्वारा विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये देखिये सं. एल टी. 1576/90]

moved from Notified Railway Stations) Rules, 1989.

(a) G.S.R. No. 558(E) dated the 7th June 1990 publishing the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules 1990.

(b) G.S.R. No. 595(E) dated the 22nd June, 1990 publishing the Railways (Manner of delivery of consignments and sale proceeds in the absence of railway receipt) Rules, 1990.

(c) G.S.R. No. 600(E) dated the 26th June 1990 publishing the Railway Rates Tribunal (Procedure) Regulations, 1990.

(d) G.S.R. No. 708(E) dated the 16th August 1990 publishing the Passengers (Change of Names) Rules, 1990.

(e) G.S.R. No. 763(E) dated the 7th September, 1990 publishing the Cessation of Responsibility (after the Termination of Transit) Rules, 1990.

(f) G.S.R. No. 901(E) dated the 12th November, 1990 publishing the Disposal of Consignment Rules, 1990

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : महोदया, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ii) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये देखिए सं. एल०टी० 1630/91

(8) G.S.R. No. 854(E) dated the 23rd October, 1990 publishing the Weighments of consignments (In Wagonload or Train-load) (Amendment) Rules, 1990 *See* No] LT-

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways Notification G.S.R. No. 855(E), dated the 23rd October, 1990, publishing Corrigendum of Notification No. G.S.R. No. 615(E), dated the 3rd July, 1990. [Placed in Library. *See* No. LT-1917|90

I. Report and accounts (1989-90) of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited, New Delhi and related .papers. ,

II Report and Accounts (1989-90) of the Bureau of Indian Standards, New Delhi and related papers..

m. Notification of the Bureau of Indian Standards..

.. TV. Notifications of the Ministry of Food and Civi' Supplies (Department of Civil Supplied)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):--

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये हिन्दुस्तान वेजीटेबल ब्रुआय०स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का छटा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ii) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये । देखिये स० एल०टी० 1647/91]

II. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):--

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ii) ब्यूरो के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये देखिये स० एल०टी० 1948/91]

III. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):--

(1) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन (संशोधन) विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा का नि स 724 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 1990 ।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त, और अन्य मदों पर भर्ती) दूसरा संशोधन विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 725(अ) दिनांक 22 अगस्त, 1990 ।

(3) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती) संशोधन विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 726(अ), दिनांक 22 अगस्त, 1990 ।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की शर्त और निबंधन) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा का नि सं० 808(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 1990 ।

(5) चित्रा जे० सिरुर अध्यक्ष, भारतीय उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति, बम्बई का भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किये जाने के लिये भारतीय मानक ब्यूरो की अधिसूचना सं० का०आ० 376 (अ), दिनांक 26 मई, 1989 को संशोधित करने वाली अधिसूचना सा०का०नि० सं० 850(अ, दिनांक 7 नवम्बर, 1990 ।[पुस्तकालय में रखी गई (1) से (5) के लिये देखिये सं० एल०टी० 1645/91]

IV. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग), की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)--

(1) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. सं० 2511 दिनांक 17 अगस्त, 1976 को निरस्त करने वाली का आ० सं० 616 (अ) दिनांक 7 अगस्त, 1990 ।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का०आ० सं० 1837, दिनांक 14 जून, 1986 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का०आ० सं० 617(अ), दिनांक 7 अगस्त, 1990 ।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का आ० सं० 2878 दिनांक 22 अगस्त, 1968 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का०आ० 618(अ), दिनांक 7 अगस्त, 1990 ।